न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57/2016 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री लेहरू पिता स्व. चतरभुज जाट निवासी आकोदिया का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री मोहन पिता स्व. चतरभुज जाट निवासी आकोदिया का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री रोशनलाल पिता अम्बालाल जाट निवासी आकोदिया का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री माधवलाल पिता अम्बालाल जाट निवासी आकोदिया का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्रीमती रामीबाई बेवा अम्बालाल जाट निवासी आकोदिया का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री भीमराज पिता गोकल जी जाट निवासी आकोदिया का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
राजसमन्द दिनांक 25–05–2016 प्रकरण संख्या
155/2014 वाद

————

उपस्थित :–1–श्री फतहलाल बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– राजकीय अधिवक्ता

————/————

निर्णय **दिनांक 11–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–88 व 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद पर प्रतिवादीगण की और खण्डन का जवाबदावा पेश हुआ। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे तनकीयात में कायम शुदा शामिल फाईल है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 29–4–2016 को कायमी तनकीयात के लिए पत्रावली को 6–5–2016 की तारीख तय की गई। दिनांक 6–5–2016 के स्थान पर पत्रावली दिनांक 25–5–16 को कैम्प कोर्ट लोक अदालत फियावड़ी पर पेश हुई, तथा अंकित किया गया कि वादीगण अपने वाद में राजीनामें से अब कार्यवाही नहीं चाहते एवं इस आधार पर दिनांक 25–5–2016 को वादी का वाद खारिज कर दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25–5–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–10–2016 को पेश की गई।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश हुआ। जिस आवेदन में कहा गया कि उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 23–9–2016 को राजसमन्द पेशी की जानकारी, पेशी पर जाने पर हुई। अतएव अन्दर जानकारी मयाद से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतएव मयाद कण्डोन की जाय। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

मयाद कण्डोन की जाकर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की और से अधिवक्ता श्री आर.एल. रावत ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेन्ट 1 से 4 अनुपस्थित रहे। राजकीय अधिवक्ता ने गुणावगुण आधार पर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि वे अधिनस्थ न्यायालय में लोक अदालत का सम्मन मिलने पर उपस्थित हुए तथा उन्होंने उपस्थिति के हस्ताक्षर ही किये, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा अंकित करते हुए, दावा खारिज कर दिया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट स्वयं यह स्वीकार करता है कि वह लोक अदालत के सम्मन मिलने के कारण अधिनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में उपस्थित हुआ है। प्रकरण में राजीनामें पर प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट रोशनलाल व भीमराज के भी हस्ताक्षर है।

अपीलान्ट की अधिनस्थ न्यायालय में वाद नहीं चलाने की राजीनामें की अभिस्वीकृति को नहीं माने जाने का तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को असद्भावी माने जाने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। राजीनामा आधार पर किये गये निर्णय की अपील लाई नहीं होती।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा आधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–5–2016 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री लेहरू पिता स्व0 चतरभुज जाट निवासी आकोदिया का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य–1	बनाम	**1– श्री रोशनलाल पिता अंबालाल जाट निवासी आकोदिया का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द अन्य–3 व सरकार**

अपील नं0 **57 / 2016** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **सहायक कलक्टर** ..... **राजसमन्द.....** मुकाम मुक्र्खे.....**25**.....माह.....**05**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**11**..... माह .....**12**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री फतहलाल बोहरा** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा आधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–5–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**11**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।